राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :—1459/2025

लवलीन

—अपीलार्थी

बनाम

राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, राजस्थान, जयपुर एवं अन्य

—प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 25.02.2025

उपस्थिति :—

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानियां, अभिभाषक

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री संजीव सिंघल, राजकीय अभिभाषक

समक्ष :— विकास सीतारामजी भाले, अध्यक्ष
अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा 4ए के उपबन्ध में शिथिलता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।

2. अपीलार्थी के अधिवक्ता का तर्क है कि अपीलार्थी वर्तमान में फार्मासिस्ट के पद पर पीएचसी, बेरी ब्लॉक पिपराली, सीकर में कार्यरत है। आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक—1) में प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी, जिसका नाम लवलीन है, का नाम आलोच्य आदेश में लवली गलत अंकित करते हुए अपीलार्थी का पदस्थापन/स्थानांतरण पीएचसी, कांकरिया, झुन्झुनू में किया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि प्रत्यर्थी विभाग ने अपीलार्थी का नाम गलत अंकित करते हुए स्थानान्तरण आदेश पारित किया है, जो बिना मस्तिष्क का प्रयोग किये जारी किया गया है। अपीलार्थी ने अपने तर्को समर्थन में माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय के न्यायिक दृष्टांत एसबी सिविल रिट याचिका संख्या 3074/2024 मंजू बनाम राजस्थान राज्य में पारित निर्णय दिनांक 01.03.2024 प्रस्तुत किया है, जिसमें अपीलार्थी का नाम मंजू के स्थान पर अंजूला अंकित किया गया था, जिसमें माननीय उच्च न्यायालय ने यह माना कि गलत नाम से कार्मिक की पहचान किया जाना संभव नहीं है।

3. हमने विद्वान् अधिवक्ता की बहस सुनी, पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों का परिशीलन कर मनन किया गया। प्रकरण के तथ्यों, अभिवचनों एवं अभिलेख से यह स्पष्ट होता है कि अपीलार्थी का नाम लवलीन है, जबकि स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम लवली अंकित है। ऐसे में स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी की पहचान किया जाना संभव नहीं है। ऐसे में हम पाते हैं कि पदस्थापन/स्थानान्तरण आदेश में अपीलार्थी का नाम नहीं है। अतः आलोच्य आदेश त्रुटिपूर्ण है व बिना विवेक का प्रयोग किये जारी किया जाना प्रकट होता है।

4. अतः उपरोक्त तथ्यों को देखते हुए हस्तगत अपील में न्यायहित में अपीलार्थी को निर्देश दिये जाते है कि वे अपने सक्षम अधिकारी के समक्ष एक अभ्यावेदन इस आदेश की दिनांक से 2 सप्ताह में प्रस्तुत करें तथा प्रत्यर्थी विभाग को यह निर्देश दिया जाता है कि अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत अभ्यावेदन को प्राप्त होने की दिनांक से 4 सप्ताह में अभ्यावेदन पर आख्यात्मक आदेश पारित कर अपीलार्थी को सूचित करें। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा उक्त अभ्यावेदन का निस्तारण नहीं किये जाने तक अपीलार्थी के संबंध में पारित आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 (अनुलग्नक–1) का क्रियान्वयन (Operation) अपीलार्थी की सीमा तक स्थगित रहेगा एवं साथ ही यह स्पष्ट किया जाता है कि अपीलार्थी को वहीं कार्यरत रखा जावें जहाँ वह चुनौती आदेश पारित किये जाने से पूर्व कार्यरत था।

5. यहां यह स्पष्ट किया जाता है कि उक्त निर्देशों की पालना अपीलार्थी द्वारा नहीं किये जाने पर यह स्थगन आदेश स्वतः ही निष्प्रभावी हो जावेगा।

6. अतः उक्त अपील, मय स्थगन प्रार्थना पत्र, ग्राह्यता के प्रक्रम पर ही उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)

(विकास सीतारामजी भाले)
अध्यक्ष